15 IV / 13 1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 606032

मु०ताम
15/4/13

(1)

राजमुनि देवी ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrucment of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 09.04.2013 को जमानियाँ में श्री सुभाष चन्द्र कुशवाहा पुत्र श्रीनाथ सिंह कुशवाहा निवासी मुहल्ला– लोदीपुर पोस्ट व तह0– जमानियाँ, जिला– गाजीपुर द्वारा घोषित किया गया– जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक पर रूपया 5000/– (पाँच हजार रूपया मात्र) की राशि है जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सास्कृतिक भैगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाज हित को ध्यान मे रखते हुये शिक्षा क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों जैसे– प्राविधिक, उच्च, चिकित्सा, व्यावसायिक आदि क्षेत्र में विशेषरूप से कार्य करेगा क्योकि यह ट्रस्ट राजमुनि देवी ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे सक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगी, जिसे कि आग ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न श्रोतो से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सत्पदा एवं साधनों को बढायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक में अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/–(पॉच हजार रूपया मात्र) की नकद राशि (पॉच हजार रूपया मात्र) की राशि को प्रदान की है क्योकि वर्तमान में इस (पॉच हजार रूपया मात्र) की राशि का पजीकृत कार्यालय मुहल्ला– लोदीपुर पोसट व तह0– जमानियाँ,

सुभाष-चन्द्र कुशवाहा

क्रमशः 2

83   २०)   15-4-13

इकरारनामा हेतु
श्री सुभाष चन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री नाथ सिंह कुशवाहा
ग्रा० लोदीपुर थाना जमानिया
गाजीपुर

जमानिया

वेण्डर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

स्टाम्प 5000/-

क्रम संख्या	मूल्य रजि०	प्रति०	योग	पृष्ठ संख्या
	50/-	60/-	110/-	3000

श्री सुभाष चन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री नाथ सिंह कुशवाहा
वृत्ति खेती ग्राम मुहल्ला लोदीपुर थाना वतह०
जमानियाँ जि० गाजीपुर ने कार्यालय सब-रजिस्ट्रार जमानियाँ
जिला गाजीपुर में आज दिनांक 15/4/13 को समय 3 बजे
रजि० हेतु ~~…~~ पेश किया गया।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

BV ह०
उप निबन्धक
जमानियाँ
15/4/13

उक्त लेख का सम्पादन व ~~विक्रय मूल्य~~ को सुन व समझ
~~नकद/पूर्व प्राप्त~~ करके श्री सुभाष चन्द्र कुशवाहा उक्त
~~… ख्याति~~ ने स्वीकार … किया पश्चात
… … निर्वाचन कार्ड, … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

जिनकी पहचान श्री सुरेन्द्र सिंह … पुत्र श्री रामकरन सिंह
वृत्ति … … … … खेती … … ग्राम सुरेन्दपुर … … व
श्री … मु० रनाम खुर्द … जमानियाँ … ने की।

BV ह०
उप निबन्धक
जमानियाँ
15/4/13

2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 606033

(2)

जिला– गाजीपुर (उ0प्र0) में रहेगा एवं अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पुर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

राजमुनि देवी ट्रस्ट (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली:–

1. ट्रस्ट के उद्देश्य:–
   ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पुर्ति के लिये कार्य करेगा– बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसधान केन्दों, सर्वेक्षण केन्दों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है। तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमादित, स्वीकृत कराना।
2. ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
4. कृषि कार्य हंतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षक करना।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 3

84
83
10-4-13

उप कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

उपरोक्त अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिए गए
साक्षीगण भले आदमी जान पड़े।
उप निबन्धक
15/4/13

3

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 606034

(3)

5. उद्यानी करण एवं जगलादी का विकास करना ।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परिक्षओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसको विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण नाबोर्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, खेल–कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्य का संचालन करना।
10. आई0टी0आई0, आई0आई0टी0, पॉलेटेक्नीक, इन्जिनियरिंग, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, ऑप्रेशन टेक्निशियन, फिजियो थरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना करना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिगं होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना कर दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रक, बिकी एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्धें, गुगे, बहरे, असहाय लोगो के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों के पाठ्यकमों तथा व्यावहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, कीड़ा मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकीक, सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 4

89 — 83

90 — 10-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 NOV 2012

गाजीपुर

4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 606035

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परिक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनका अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
16. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यकमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कर सकना।
17. सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं एड्स कार्यकम व अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताए, बैठके, विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यकम आयोजन कर सकना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्कीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
19. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजो को ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनकों इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना।
21. विधि सम्पत्ति उपयोगि सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधिया का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व इसका प्रचार तथा प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधार करने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमीनार करना।
25. एड्स के बारे में जन–जागरण हेतु प्रचार–प्रसार करना।

सुभाष चन्द्र कश्यप

कमशः 5

86 83

29 10-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 606036

(5)

26. पुस्तक/पुस्तिकाए, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित ,सम्पादित वितरित एवं विकय करना।

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।

28. मत्राचार्य द्वारा अध्ययन–अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना।

29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार हेतु कार्य कर सकना।

30. धार्मिक स्थ्लों का निर्माण कर सकना।

31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का आयोजन एवं कियान्वयन कर सकना।

32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

33. विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिग कॉलेज व्यावसायिक कॉलेजो एवं प्रतिष्ठानों के विशेषधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषधिकार अनय को प्रदान कर सकना।

34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्वि करना ,विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयेग करना।

35. ट्रस्ट जनसागान्य के हित में कार्य करेगा।ट्रस्ट यथासम्भव अपनी उत्पादित वस्तुए लागत मूल्य पर देने कर प्रयास करेगा।ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क,खड़ंजा, तलाबो का निमार्ण कर मछली पालन आदि का प्रचार–प्रसार करना।

36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याण कारी योजनाओं कियान्वयन करेगा।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 6

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

6

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

भारत

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 606037

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कलान्तर में ट्रस्ट के उछ्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पोलिटेक्निक का निर्माण करना।

39. किसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु नवीन बीजो की जानकारी देना।

40. फलसंरक्षण, अचार–मुरब्बा औषधीय खेती की जानकारी देना एवं उत्थान कियें गयें माल का अयात–निर्यात करना।

2– प्रारम्भिक उपबंधः–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पजीकृत के दिनांक से सुभाष चन्द्र कुशवाहा को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष श्री सुभाश चन्द्र कुशवाहा द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो श्री सुभाश चन्द्र कुशवाहा के मृत्यु के पश्चात सुनिता कुशवाहा पत्नी श्री सुभाश चन्द्र कुशवाहा इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष होंगे।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहें अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

4. यदि श्री सुभाश चन्द्र कुशवाहा के मृत्यु के बाद सुनिता कुशवाहा पत्नी श्री सुभाश चन्द्र कुशवाहा ट्रस्टी अध्यक्ष होंगे।

3– मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरणः–

1. मैनजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 7

88   83
99   10-4-13

87/14

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 606038

2. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी व्यक्ति को मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्टी डीड के मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं

4. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने–अपने उत्तराधिकारी की घोशणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/ इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रुप में मान्य होगी।

6. यह भी स्पश्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यरत मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विशय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है। जबतब की वास्तविक रुप में कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

4— बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजः–

1. यह कि मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विशयों पर विचार विमर्श करने एवं

कमशः 8

89
83
10-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

8

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 606039

सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कस गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी को ट्रस्टीज मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पश्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3. यह कि मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है। जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्हीं विशय पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको की मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5— <u>मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधायें:—</u>

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित कराने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।

2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने उत्तरादायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट के मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 9

...रिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

10-4-13

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
13AA 606040

6– कार्यक्षेत्रः–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा, जिसमें समाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

7– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकारः–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा की वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी उत्तराधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्ताक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/ संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप में मान्य एवं स्वीकार होगा।

8– सचिव/उप सचिव की नियुक्तिः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यक पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन भत्ते सुविधायें कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टीं/अध्यक्ष द्वारा निश्चित कर सकेगा।
3. यह कि उक्त सचिव/उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के इच्छा तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्ति के

क्रमशः 10

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

91 83

18-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 NOV 2012

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 606041

विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।

9— <u>उपाध्यक्ष की नियुक्तिः—</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यक पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के इच्छा तक कार्य करेंगे। ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये, उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को हटाकर रिक्त पदों पर दुसरी नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

10— <u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः—</u>

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष की प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

क— बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उनकी अध्यक्षता करना।

ख-- ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरादायी ढंग से देखरेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति करना।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 11

92 83

10-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 NOV 2012

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
TWENTY RUPEES
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 606042

(11)

ग– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होंने कि दिनांक से मान्य होगा।

11– उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्ष/ट्रस्टीज की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विशय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

12– सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रुप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है।
4. विभिन्न कार्य कलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोश्ठों/विभाग केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निर्देशकों/पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु समिति गठित करना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन

कमशः 12

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

93
29

83
10-4-13

37
/14

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

12

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 606043

करना।

7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जनसमान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।

13– उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–
1. सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारी/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रुप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रुप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14– बैंक एकाउंटः–
1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं का ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

15– विधिक कार्यवाहीः–

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है, या इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है, तो अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

क्रमशः 13

94
29

83
10-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी
20 NOV 2012
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 593799

न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

16— सम्पत्ति संबंधितः—

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वी सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के संबंध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेख—विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति का कय विकय कर सकता है। रेहन रख सकता है, किराये पर रख सकता है अथवा ले सकता है। इसके लिये मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वतंत्र है।
5. ट्रस्ट किसी ऋण, दान, उपहार, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिहन, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा कय अनुज्ञप्ति बंधक भारित, गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।
8. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5,000 (पॉच हजार) रुपये की पूँजी है।

17. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत विद्यालय के ट्रस्टी में निम्नलिखित प्रतिबंध होगा।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 14

115 29 15-4-13

सतीश चन्द्र पाण्डेय

वरिष्ठ कोषाधिकारी

05 MAR 2013

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 593797

(14)

प्रतिबन्ध

क.	विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।	हाँ
ख.	विद्यालय के कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।	हाँ
ग.	संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौसिंग फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।	हाँ
घ.	संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायकता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।	हाँ
ङ.	कर्मचारियों की सेवा सर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।	हाँ
च.	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।	हाँ
छ.	विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम एक से आठ तक स्वीकार है।	हाँ

हस्ताक्षर प्रबन्धक/निदेशक/सचिव

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

क्रमशः 15

92 83

कैलाश चन्द्र पाण्डेय

वरिष्ठ कोषाधिकारी

05 MAR 2013

गाजीपुर

15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 593800

18. विशेष :–

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत् किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / कार्यक्रम इकाई / कार्यलय / संस्था उपक्रम कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम / उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट राजमुनी देवी ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्रविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम / उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख– अध्यक्ष / ट्रस्टी यदि उचित समझे जो किसी परिस्थितियों में इस ट्रस्ट के किसी प्राविधानों को शिथिल कर सकता है। तथा कोई भी निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा इस धारा के अर्न्तगत अध्यक्ष द्वारा कि गयी किसी कार्यवाही / निर्णय को कही भी किसी भी न्यालय में चुनौती दी जा सकेगी। राजगुनी देवी स्मृति ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित राजमुनि देवी स्मृति ट्रस्ट के उद्देश्य एवं निमावली एतदद्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कियान्वित की जाती है।

उक्त न्यास विलेख को पढ़ कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्ष्यों कि उपस्थिति में हस्तक्षर द्वारा का दिये गये है।

सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कमशः 16

116

15-4-13

हस्ताक्षर

श्री दुर्गानाथ सिंह कुशवाहा

पुत्र श्री नागा सिंह कुशवाहा ग्राम जमानिया

जमानिया गाजीपुर

कटेश चन्द्र

वरिष्ठ कोषाधिकारी

MAR 2013

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 888751

(16)

उक्त ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियिम के तहत मान्य है।

साक्षीगणः

सुभाष चन्द्र कुशवाहा
ट्रस्टी /अध्यक्ष
राजमुनी देवी ट्रस्ट

1. नाम सुरेन्द्र सिंह स्व. पुत्र त्रिलोकनाथ सिंह

पताः ग्राम जुनेदपुर (कल्याण) जमानिया
जि० गाजीपुर।

2. नाम सुनील कुमार एडवोकेट

पताः तहसील जमानिया-गाजीपुर

मु० इनाम एडवोकेट
मसविदाकर्ता तहसील जमानियाँ

दिनांकः– 15.04.2013

112 29 15-4-13

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 APR 2013
गाजीपुर

आज दिनांक 15/4/13 को
पुस्तक संख्या IV खण्ड संख्या 07
के पृष्ठ 27-50 पर क्रम संख्या 15
पर रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
का हस्ताक्षर